



प्रेस नोट-मानीटरिंग सैल

जनपद शाहजहांपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 23.01.2025



ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस का सफलतम प्रयास

मॉनीटरिंग सेल द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत धारा 363,366,376 भादवि0 एवं 3/4 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं कुल 35000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

श्री प्रशांत कुमार, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशनुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कड़ी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व डॉ0 राकेश सिंह पुलिस महानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री राजेश एस0, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन में, श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री प्रयांक जैन, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सैल, व थाना रौजा पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-42 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के उपरान्त थाना रौजा में अभियुक्त द्वारा वादी की लड़की को भगा ले जाना व लड़की द्वारा अपने साथ जवारात और 20000 रु0 की नकदी ले जाने के आरोपी शकील उर्फ रसबू पुत्र इरशरार निवासी सरही थाना रौजा जनपद शाहजहांपुर को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 35000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सजा प्राप्त किये अभियुक्तगण का विवरण:-

आरोपी शकील उर्फ रसबू पुत्र इरशरार निवासी सरही थाना रौजा जनपद शाहजहांपुर

घटना व सजा का विवरण-

मु0अ0सं0 14/2021 धारा 363,366,376 भादवि0 एवं 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रौजा में अभियुक्त द्वारा वादी की लड़की को भगा ले जाना व लड़की द्वारा अपने साथ जवारात और 20000 रु0 की नकदी ले जाने के आरोपी शकील उर्फ रसबू पुत्र इरशरार निवासी सरही थाना रौजा जनपद शाहजहांपुर को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 35000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

MEDIA CELL, SHAHJAHANPUR POLICE